न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 260/2015/डिक्री

रूपलाल पिता दल्ला गुर्जर
निवासी सामरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. डालू पिता दल्ला गुर्जर
   निवासी सामरी तहसील व जिला चित्तौड़गढ
2. राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 23.06.2015 प्रकरण सं. 205/2009

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
2. श्री खुमराज कुमावत – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1

निर्णय दिनांक– 06.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी/अपीलान्ट ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 16/10/2009 को इसे आशय का प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की पैतृक आराजीयात मौजा सामरी की खाता संख्या 3 मे दर्ज आराजी नम्बर 900, 934, 938, 939, 942, 943, 950, 953, 956, 957 कुल किता 10 रकबा 2.59 है0 उपस्थित है जो अपीलान्ट के दादा पृथ्वीराज की होकर पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात् कालू एवं दल्ला के नाम दर्ज हुई व दल्ला की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम पर दर्ज की गयी। जबकि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्व0 दल्ला के पुत्र व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पत्नि है। नानीबाई की भी मृत्यु हो चुकी है जिससे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2–1/2 हक व हिस्से के अधिकारी है। फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियो से मिली भगत कर स्व0 दल्लाजी की विरासत का

नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नानीबाई के नाम दर्ज करवा दिया जो अपीलान्ट के हक व अधिकारो के मुकाबले मे शून्य एवं निष्प्रभावी होकर अपीलान्ट वादी उक्त आराजीयात मे 1/2 हक व हिस्से की घोषणा कराये जाने का अधिकारी है। उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर रेस्पोडेन्ट 1 व नानीबाई ने अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर जवाबदावे मे यह तथ्य अंकित किये कि अपीलान्ट वादी स्व0 दल्ला का जायंदा पुत्र होकर गेलड लडका है जो अपनी माता नानीबाई के साथ आया था जिससे अपीलान्ट वादी दल्ला का पुत्र नही होकर स्वर्गीय लेहरू का पुत्र है। इस आशय का जवाबदावा प्रस्तुत तकिया गया उसके पश्चात् प्रतिवादी संख्या 2 नानीबाई की मृत्यु हो जाने से नानीबाई का नाम रेकार्ड से हटाया गया। इसी दरमियान राज्य सरकार के निर्देशानुसार उक्त प्रकरण कैम्प कोर्ट सामरी अटल सेवा केन्द्र पर रखवाया गया, व कैम्प कोर्ट मे अपीलान्ट स्वंय उपस्थित हुआ एवं अपने वादपत्र की ताईद की। उक्त प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित हुआ। अपीलान्ट वादी ने अपने वादपत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये जिसे भी अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित था व अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र 1/2 हक व हिस्से डिक्री किये जाने योग्य था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के अपीलान्ट वादी का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए अपीलान्ट वादी को स्व0 दल्ला का पुत्र होना मानते हुए वादपत्र निरस्त कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

2. लोक अदालत कैम्प कोर्ट मे उन्ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है जिनमे दोनो पक्ष स्वंय उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करे तथा स्वैच्छा से लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहे, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण मे पक्षकारान मे समझाईश की किसी भी प्रकार की संभावना नही होते हुए भी प्रकरण का निस्तारण करते हुए वादपत्र निरस्त कर दिया जो लोक अदालत की भावना के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23/06/2015 की अपीलान्ट को कोई जानकारी नही थी। लोक अदालत के नोटिस भी प्राप्त नही हुए थे। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार

की जाकर अधीनस्थ अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23/06/2015 को निरस्त फरमायी जाकर अपीलान्ट वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र डिक्री फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट (वादी) का वाद अधीनस्थ न्यायालय मे खारीज हुआ है। दल्ला नामक व्यक्ति के दो पुत्र रूपलाल तथा डालु है। डालु की मृत्यु के बाद 1/2, 1/2 हिस्सा डालु तथा नानी के नाम दर्ज हो गया लेकिन रूपलाल का नाम छोड दिया गया। नानी की मृत्यु दिनांक 08/08/05 को हो चुकी है। नानी दरअसल दल्ला के नाते आई थी। इस प्रकरण मे मुख्य विवाद इसी बात का है कि रूपलाल उसकी माता नानी के साथ गेलड (पूर्व पिता का पुत्र) है। इस सम्बन्ध मे 19/06/2012 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी भी बनाई गई जिसको सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को था। विरासतन इंतकाल संख्या 87 दिनांक 27/11/1991 को खुला है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय की जमाबन्दी मे नानी का नाम बदस्तुर है। अधीनस्थ न्यायालय मे क्लेमेन्ट श्री रूपलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ है जिसे बतौर साक्ष्य लिया गया है। दिनांक 16/12/2013 को आदेश 14 नियम 5 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ है जिसमे गेलड पुत्र के सम्बन्ध मे विवादक को संशोधित कराने की मांग की गई है। जिसकी बहस होनी थी। इसी बीच लोक अदालत मे निर्णय पारित कर वाद वादी खारीज कर दिया गया। ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे। लिमिटेशन के सम्बन्ध मे वकील अपीलान्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 23/06/2015 को निर्णय पारित किया गया जिसकी नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 10/08/2015 को नकल के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 03/09/2015 को प्राप्त हुई उसके साथ ही अपील प्रस्तुत कर दी गई। ऐसी सूरत मे अपील को लिमिटेशन मे माना जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि दावा केवल वारिस ही पेश कर सकता है। अपीलान्ट/वादी गेलड पुत्र होने के कारण वारिस की श्रेणी मे नही आता है। श्रीमती नानी की मृत्यु 2005 मे ही हो चुकी है जबकि दावा 2009 मे पेश

किया गया जिसमे मृतका को प्रतिवादी बनाया गया। वाद मे अपने नाम के आगे किसी को भी पिता के रूप मे लिख देने से सम्बन्ध साबित नही होता है। लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करना पडता है तथा उसे गवाहो से ताईद कराना पडता है। वादी दरअसल श्री भेरू गुर्जर निवासी सारण तहसील बेगूँ का पुत्र है तथा उसकी माता श्रीमती नानी नाता कर श्री भेरू को छोड दिया तथा दल्ला के यहां आ गई। इस प्रकार डालु उर्फ रूपा उर्फ रूपलाल मूल रूप से भेरू गुर्जर का पुत्र है। श्रीमती नानी के भेरू से रूपलाल के अलावा एक पुत्री बरजी भी पैदा हुई है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा रिकार्ड पर नानीबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र, जमाबन्दी की प्रति जिसमे मु0 नानी तथा श्री दल्ला से पैदाकरदा पुत्र श्री रूपलाल का नाम है, सामरी का इंतकला नम्बर 87 दिनांक 27/11/1991 की प्रति भी पेश की है। जिसमे इंतकाल के समय वारिस मु0 नानी तथा रूपलाल को ही श्री दल्ला के वारिस माने गये है। राजस्व ग्राम सारण तहसील बेगूँ की संवत् 2010–13 की जमाबन्दी तथा दिनांक 04/06/1971 को किया गया बेचाननामा की प्रति पेश की गई। इसके अतिरिक्त उन्होने यह भी बताया कि उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के न्यायालय मे वाद संख्या 37/1995 पेश हुआ था जिसका अनुवान उगमा बनाम डालु जो खारीज हुआ था। जिसकी राजस्व अपील प्राधिकार के यहां अपील संख्या 278/2004/डिक्री अनुवान उगमा बनाम डालु प्रस्तुत हुई थी जिसका निर्णय 18/02/2009 को निर्णित होकर अपील स्वीकार की गई। अपीलान्ट का विवादग्रस्त भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नही है। ऐसी सूरत मे धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है। इस सम्बन्ध मे तनकियात कायम हुई है कि अपीलान्ट गेलड पुत्र है जिसके सम्बन्ध मे शपथ पत्र पेश हुआ था जिसमे जिरह की जरूरत ही नही पडी क्योकि किसी ने उसका खण्डन नही किया। इसी भूमि को लेकर मुन्सिफ कोर्ट मे एक सिविल वाद भी प्रस्तुत हुआ था जो अदम हाजरी मे खारीज हुआ है। डिक्री दिनांक 23/06/2015 को जारी हुई है तथा अपील 28/09/2015 को जारी हुई है जो सीमा के बाहर है। इस सम्बन्ध मे उनके द्वारा आरआरटी 2011 पोर्ट –2 पृष्ठ 851 (उच्च न्यायालय) आरआरटी 2010 पार्ट–2 पृष्ठ 801(उच्च न्यायालय) आरआरटी 2015 पार्ट–1 पृष्ठ 232 तथा आरआरटी 2016 पार्ट–2 पृष्ठ 1381 की नजीरे भी पेश की है। इस प्रकार वकील रेस्पोडेन्ट ने बयान किया कि अपीलान्ट ने अपने मूल पिता श्री भेरू गुर्जर की

सम्पत्ति मे से हिस्सा प्राप्त कर उसका बेचान कर दिया है। गेलड पुत्र कभी भी नाते गई मॉ के नये पति की सम्पत्ति मे किसी प्रकार का हक नही रखता है। ऐसी सूरत मे अपील मेरिट एवं लिमिटेशन दोनो आधारो पर खारीज होने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी की मॉ श्रीमती नानी अपने पूर्व पति श्री भेरूलाल को छोडकर श्री दल्ला के यहां नाते आ गई थी तत्समय उसके अपीलान्ट तथा मु0 बरजी दो संताने थी। जिसका विस्तृत उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय मे भी किया गया है। गेलड पुत्र नये पिता की सम्पत्ति मे किसी प्रकार का हक नही रखता है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विस्तार से पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार की त्रुटि होना नही पाया जाता है। फलतः अपील अपीलान्ट खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 205/2009 मे पारित निर्णय दिनांक 23/06/2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़